17/07/25

अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। प्रकरण के अन्तर्गत
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित और अपील
आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता
है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा और अपील
आदेश के जरिये रैस्पोडेन्ट धीमूपुरी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित
धारा 151 सी.पी.सी. रूपये 500/- की कॉस्ट पर

Scanned with OKEN Scanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ....मुकदमा नम्बर ....सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 53/85 अनन्वान धीसूपुरी बनाम देवभारती में दिनांक 28/01/86 को पारित आदेश मन्सूख कर मूल वाद को रेस्टोर कर पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त अपील पेश की गई है, जो कि कानूनन पोषणीय नहीं है। ऐसे आदेश के विरुद्ध कानूनन माननीय राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। लिहाजा उक्त अपील कानूनी तौर पर न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	

Scanned with OKEN Scanner